पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त, 2022 ई0 (भाद्रपद 05, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–35

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	663–665	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	709–711	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	17–21	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	425–438	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–4

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

13 जून, 2022 ई0

संख्या 42193/XX-2(126)/2022-1(49)/2011–एतद्द्वारा उत्तराखण्ड कारागार विभाग के अन्तर्गत कारागार अधीक्षक वेतन लेवल–10 (वेतनमान रू0 56,100–1,75,500) से वरिष्ठ कारागार अधीक्षक वेतन लेवल–11 (वेतनमान रू0 67,700–2,08,700) के रिक्त 01 पद पर श्री अशोक कुमार को पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अशोक कुमार द्वारा वर्तमान नियुक्ति स्थान सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज / केन्द्रीय कारागार, सितारगंज में वरिष्ठ कारागार अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया जायेगा।

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपनी तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते हुए महानिरीक्षक कारागार के माध्यम से सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूडी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह विभाग

अधिसूचना

27 मई, 2022 ई0

संख्या 452/XX-5/2022/03(32)/22–उत्तराखण्ड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जाँच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन के साथ उस पर रिपोर्ट करने के लिए विवाह, तलाक, सम्पत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित लागू कानून और विरासत, गोद लेने और रख–रखाव और संरक्षता इत्यादि एवं समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु निम्नवत विशेषज्ञ समिति के गठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1–	मा0 न्यायाधीश (सेवानिवृत) रंजना प्रकाश देसाई	चेयरपर्सन
2–	मा0 न्यायाधीश (सेवानिवृत) प्रमोद कोहली	सदस्य
3–	श्री मनु गौर, सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
4–	श्री शत्रुघ्न सिंह, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत)	सदस्य
5–	श्रीमती सुरेखा डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय	सदस्य

उक्त समिति के लिए संदर्भ की शर्तो एवं अन्य शर्तों का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

आज्ञा से,

राधा रतूडी,
अपर प्रमुख सचिव।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

पदोन्नति/विज्ञप्ति

07 जून, 2022 ई0

संख्या 572/XLI-B-1/22/E-28876/2022—कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत प्रधानाचार्य श्रेणी—1 के पद पर कार्यरत श्री अनिल सिंह को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त निदेशक के रिक्त पद पर वेतनमान रूपये 78800—209200, पे—मैट्रिक्स लेवल—12 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2— उक्त कार्मिक को पदोन्नति के फलस्वरूप संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3— पदोन्नत किये जा रहे कार्मिक की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

विजय कुमार यादव,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग—2

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

03 जून, 2022 ई0

संख्या 499/XXVIII-2-2022-76/2015 टी0सी0—चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत भेषजिक (फार्मासिस्ट) वेतनमान ₹ 35,400—1,12,400 पे—मैट्रिक्स लेवल—06 के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित कार्मिकों को नियमित चयनोपरान्त मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) वेतनमान ₹ 56,100—1,77,500 पे—मैट्रिक्स लेवल—10 के रिक्त पद पर कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1). श्री प्रकाश चन्द्र कुकरेती।

(2). श्री पुष्कर सिंह धामी।

(3). श्री अनिल कुमार भट्ट।

(4). श्री राजेन्द्र सिंह रावत।

2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) के पद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित् परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

3. उक्त पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

गरिमा रौंकली,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 35 हिन्दी गजट/532—भाग 1—2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त, 2022 ई0 (भाद्रपद 05, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 28, 2022

No. 201/UHC/Admin.A/2022--In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all the other powers enabling in that behalf, the Hon'ble Court is pleased to add the following paragraph in Chapter XLI Rule 4, sub-rule (iii) of "The Allahabad High Court Rules, 1952" as applicable to the High Court of Uttarakhand, Nainital under Uttar Pradesh Reorganization Act, 2000:

> *"Provided that in case, notice is unserved and returned to the Registry, the envelope and the notice shall be kept on record, but, the copy of the petition, appeal etc. shall be returned to the parties concerned so that in case of reissuance of the notice, the same may be enclosed alongwith the fresh notice."*

This amendment shall come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-

VIVEK BHARTI SHARMA,
Registrar General.

NOTIFICATION

July 28, 2022

No. 202/XIV-66/Admin.A/2003--Shri Shrikant Pandey, District & Sessions Judge, Rudraprayag is hereby sanctioned earned leave of 12 days w.e.f. 27.06.2022 to 08.07.2022 with permission to prefix 26.06.2022 as Sunday holiday and suffix 09.07.2022 & 10.07.2022 as 2nd Saturday & Sunday holiday respectively.

NOTIFICATION

July 29, 2022

No. 203/XIV-7/Admin.A/2008--Shri Anirudh Bhatt, 3rd Additional District & Sessions Judge, Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 24 days w.e.f. 27.06.2022 to 20.07.2022.

NOTIFICATION

July 29, 2022

No. 204/XIV-a-38/Admin.A/2017--Ms. Kanchan Chaudhary, Civil Judge (Jr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 30.06.2022 to 13.07.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय

शुद्धि पत्र

23 जून, 2022 ई0

पत्रांक संख्या 1879/चि0शि0/03(मेडिकल)/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू– चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्याः–1512/चि0शि0/03 (मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू दिनांक 19.05.2022 के द्वारा श्री समशेर सिंह सामन्त को एम0एस0डब्ल्यू के नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया, जिसमें उनके नियुक्ति पत्र में अग्रेजी भाषा में वर्णित नाम त्रुटिवश Shri Shamsher Singh Samant अंकित हो गया है, को संशोधित करते हुए उक्त के स्थान पर Shri Samsher Singh Samant पढ़ा जाय।

उक्त नियुक्ति पत्र की शेष सेवा शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
अपर निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।

कार्यालय–सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी पीठ

कार्यभार प्रमाण–पत्र

29 जुलाई, 2022 ई0

पत्रांक–वा0क0अधि0/कार्यभार/व्य0प0/152/2022–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना/स्थानान्तरण संख्या–554/2022/10(100)/XXVII(8)/2022, दिनांक 22.07.2022 के अनुक्रम में सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, हल्द्वानी का कार्यभार आज दिनांक 29–07–2022 की पूर्वान्ह में निम्न प्रकार हस्तान्तरित किया गया।

2– यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय की कैश बुक के अनुसार स्थाई अग्रिम की धनराशि रू0 2500–00 (रूपये दो हजार पॉच सौ मात्र) को भी प्राप्त किया गया।

अवमुक्त अधिकारी,
आई0एस0बृजवाल,
सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

अवमोचक अधिकारी,
विपिन चन्द्र,
सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 35 हिन्दी गजट/532–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त, 2022 ई0 (भाद्रपद 05, 1944 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अल्मोड़ा

सूचना

09 जून, 2022 ई0

संख्या 37/त्रि0पं0उप नि0/2022–राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून की अधिसूचना सं0–286/रा0नि0आ0अनु0–2/3041/2021 दिनांक 08 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मैं, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) अल्मोड़ा संलग्न प्रारूप–1, 2 व 3 में उल्लिखित प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार सूचित करता हूँ:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व संमय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
13–06–2022 एवं 14–06–2022 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक)	15–06–2022 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	16–06–2022 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक)	17–06–2022 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	27–06–2022 (पूर्वान्ह 08:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक)	29–06–2022 (पूर्वान्ह 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा भी सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और सम्बन्धित तहसील के सूचना पटों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

3. नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

4. उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित 2019) के अधीन रहते हुए उ0प्र0 पंचायत राज (सदस्यों प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) तथा रिट याचिका संख्या 2302 (एम0/एस0)/2019 श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 441 (एम0/एस0)/2020 मो0 युनूस बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020 के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने उनकी जांच नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

5. वैश्विक महामारी कोविड–19 के दृष्टिगत उप निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों एवं मतदाताओं को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

प्रारूप–2

सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

जनपद का नाम– अल्मोड़ा।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन की कुल संख्या	आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5
1	हवालबाग	76	137	ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अन्तिम प्रकाशन सूची 2018–19 रूप पत्र–2 के अनुसार
2	लमगड़ा	68	127	
3	द्वाराहाट	51	124	
4	भिकियासैण	37	70	
5	भैसियाछाना	21	35	
6	चौखुटिया	51	81	
7	ताड़ीखेत	73	141	
8	धौलादेवी	36	62	
9	ताकुला	47	67	
10	स्याल्दे	55	103	
11	सल्ट	66	90	
		581	1037	

प्रारूप–1

प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

जनपद का नाम– अल्मोड़ा।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आरक्षण की स्थिति
1	हवालबाग	महतगांव	अनु0जाति
2	हवालबाग	केस्ता	अनु0जाति
3	हवालबाग	सैंज	अनारक्षित
4	हवालबाग	बिन्तोला	अनारक्षित
5	हवालबाग	पाखड़ा	अन्य महिला
6	धौलादेवी	रौल	अनारक्षित
7	धौलादेवी	मलाड़	अनारक्षित
8	धौलादेवी	आरासल्पड़	अन्य महिला
9	भैसियाछाना	कुमोली	अनु0जाति
10	ताकुला	पोखरी	अनु0जाति महिला
11	ताकुला	भैसड़गांव	अनारक्षित
12	ताड़ीखेत	खडखेत	अनारक्षित
13	ताड़ीखेत	डढूली	अनु0जाति महिला
14	ताड़ीखेत	पस्तौडावार	अन्य महिला
15	ताड़ीखेत	हडोली	अनु0जाति
16	ताड़ीखेत	सलोनी	अनु0जाति महिला
17	ताड़ीखेत	पालीनदुली	अनारक्षित
18	ताड़ीखेत	सुनियाकोट	अनु0जाति महिला
19	सल्ट	जालीखान	अनु0जाति महिला
20	सल्ट	पनुवाद्योखन	अनारक्षित
21	सल्ट	ड्यौना	अनु0जाति
22	स्याल्दे	गुदलेख	अ0पि0व0महिला
23	स्याल्दे	तल्ला भाकुड़ा	अनारक्षित
24	स्याल्दे	खाल्यों	अनारक्षित
25	द्वाराहाट	उभ्याड़ी	अन्य महिला
26	द्वाराहाट	डढोली	अनारक्षित
27	द्वाराहाट	काण्डे	अनु0जाति महिला
28	द्वाराहाट	दलमोटी	अनारक्षित
29	द्वाराहाट	सिमोली	अन्य महिला
30	द्वाराहाट	रियूनी (नैनी)	अनारक्षित
31	द्वाराहाट	पिनोली	अनारक्षित
32	चौखुटिया	माड़कूबाखल	अ0पि0व0महिला
33	चौखुटिया	बोहरागांव	अनारक्षित
34	चौखुटिया	उड़लीखान	अन्य महिला
35	चौखुटिया	कबडोली	अनारक्षित
36	चौखुटिया	जैंठा	अनु0जाति
37	भिकियासैण	खरक	अनारक्षित
38	भिकियासैण	पड्यूला	अनारक्षित
39	भिकियासैण	बम्योली	अनारक्षित
40	भिकियासैण	निगराली	अन्य महिला
41	लमगड़ा	क्वेटा	अ0पि0वर्ग
42	लमगड़ा	बचकाण्डे	अनारक्षित

प्रारूप–3

सदस्य क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

जनपद का नाम– अल्मोड़ा।

क्र0 सं0	विकास खण्ड़ का नाम	रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का क्रमांक व नाम	आरक्षण की स्थिति
1	ताकुला	16–बजेल	अनारक्षित

ह0 (अस्पष्ट),

जिला मजिस्ट्रेट/

जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)

अल्मोड़ा।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 35 हिन्दी गजट/532–भाग–3–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त, 2022 ई0 (भाद्रपद 05, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैने अपने पारिवारिक कारणों से अपना नाम रवि कांत से बदलकर रवि कांत सैनी कर लिया है भविष्य में मुझे रवि कांत सैनी पुत्र साधु राम के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रवि कांत सैनी पुत्र साधु राम
निवासी 41, टाइप–2, सेक्टर 5बी
बीएचईएल रानीपुर हरिद्वार
मोबाइल–9719775833

सूचना

मैने अपने पारिवारिक कारणों से अपना नाम संजय कुमार से बदलकर संजय कुमार सैनी कर लिया है भविष्य में मुझे संजय कुमार सैनी पुत्र साधु राम के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

संजय कुमार सैनी पुत्र साधु राम
निवासी 49, टाइप–2, सेक्टर 5बी
बीएचईएल रानीपुर हरिद्वार
मोबाइल–9759112299

सूचना

मेरी पुत्री मेघा मनीषा के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में माता का नाम एलिजाबेथ सिंह गलत दर्ज हो गया है जोकि गलत है, जबकि मेरा वास्तविक नाम एलिजाबेथ मसीह है। भविष्य में मेरी पुत्री को मेघा मनीषा पुत्री एलिजाबेथ मसीह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

एलिजाबेथ मसीह पत्नी खिलेन्द्र
सिंह निवासी बरेली रोड नई मैरिड
हॉस्टल हल्द्वानी (नैनीताल)

सूचना

मेरे HDFC Bank AC No. 06571460001218 में मेरा घरेलू नाम Raghav Gautam दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। जबकि मेरा वास्तविक नाम Priyansh Gautam है। भविष्य में मुझे Priyansh Gautam S/o Sanjay Kumar Gautam के नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Priyansh Gautam S/o Sanjay Kumar Gautam
निवासी 1173 गीतांजली विहार, गणेशपुर, रुड़की।

कार्यालय नगर पंचायत भिकियासैंण अल्मोड़ा

"सार्वजनिक सूचना"

24 मई, 2022 ई0

संख्या–81 / न0प0भि0 / सा0सू0 / 2022–23–नगर पंचायत भिकियासैंण क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 (प) 130 (क), (2), 140, 141, 141 –क, 141 ख, (1) (2) के साथ पठित नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके नगर क्षेत्रान्तर्गत आवासीय, व्यवसायिक, गैर आवासीय, किराये के भवनों व्यवसायिक भवनों पर भवन कर निर्धारण करने हेतु **"सम्पत्ति एवं स्वकर निर्धारण"** उपविधि – 2022 तैयार की गई है जो नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से अन्दर 30 दिवस के लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भिकियासैंण के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यावधि के दौरान उपलब्ध करानी होंगी । बाद मियाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

''सम्पत्ति एवं भवन स्वकर निर्धारण'' उपविधि - 2022

1- संक्षिप्त शीर्षनाम और लागू होने की तारीख

(1) यह उपविधि नगर पंचायत भिकियासैंण जिला अल्मोडा के सम्पूर्ण सीमान्तर्गत स्थित भवनों पर आरोपित किये जाने हेतु तैयार की गई है जो ''सम्पत्ति एवं भवन स्वकर निर्धारण'' उपविधि - 2022 कहलाएगी

(2) यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषायें -किसी विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में -

(क) '' अधिनियम '' का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम 1916 (यू0पी0 म्युनिस्पैलटीज एक्ट संख्या 2,1916) से हैं ।

(ख) '' नगर का तात्पर्य नगर पंचायत भिकियासैंण से है ।

(ग) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पंचायत भिकियासैंण के निर्वाचित अध्यक्ष से है ।

(घ) ''बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत भिकियासैंण के निर्वाचित अध्यक्ष व सदस्यों के बोर्ड से हैं ।

(ड.) '' अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भिकियासैंण से है ।

(च) '' प्रशासक'' का तात्पर्य जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी से है।

(छ) ''अवर अभियन्ता'' का तात्पर्य नगर पंचायत भिकियासैंण में कार्यरत अथवा नगर पंचायत हेतु नामित अवर अभियन्ता से है ।

(ज) ''कर निरीक्षक'' का तात्पर्य कर निरीक्षक नगर पंचायत भिकियासैंण अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित कर्मचारी से है ।

(झ) ''कर संग्रहकर्ता'' का तात्पर्य नगर पंचायत में कार्यरत कर संग्रहकर्ता या ऐसे पालिका कर्मचारी से है जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा कर वसूली हेतु समय-समय पर अधिकृत किया गया हो ।

(ं) ''भवनों का समूह'' का तात्पर्य नियम 4 के अधीन उल्लिखित भवनों के समूह से है ।

(ट) ''कबर्ड एरिया'' का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है जिस भाग पर भवन निर्मित हैं।

(ठ) ''आवासीय भवन'' का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसका उपयोग भवन स्वामी/अध्यासी/पट्टाधारक आदि द्वारा निवास हेतु किया जा रहा है।

(ड) ''अनावासीय भवन'' का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसका उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा हो या जिससे आय सृजन हो रही हो।

(च) ''खाली भवन'' का तात्पर्य ऐसे भवन से जिसका उपयोग किसी भी रूप में यथा - आवासीय/व्यवसायिक/भण्डारण आदि के रूप में लगातार 90 दिन तक ना किया गया हो ।

(छ) व्यवसायिक अनुलग्न भूमि'' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसका उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा हो (कृषि कार्य को छोड़कर)

(ज) ''दूरी'' का तात्पर्य मोटर मार्ग व भवन के मध्य हवाई दूरी या भूगत दूरी से जो कम हो लागू होगी ।

किसी भवन या भूखण्ड के कबर्ड एरिया और अन्य क्षेत्र का विवरण -

3-(1) नगर पंचायत द्वारा सूचना प्रकाशित कर के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी उपभोगकर्ता से इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र ''क'' में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कबर्ड एरिया और अन्य क्षेत्रफल का विवरण भर कर प्रत्येक पांच वर्ष में कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा ।

(2) अधिशासी अधिकारी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिए प्रपत्र ''क'' में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डों के लिए विभिन्न स्थलों को नियत कर सकता है ।

(3) जब कभी स्वामी द्वारा स्व-अध्यासिक या खाली भवन को किराये पर दिया जाय या इसके विपरीत हो तो ऐसा होने के साठ दिन भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र ''क'' में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा ।

(4) जब किसी भवन में निर्माण या पुर्ननिर्माण के फलस्वरूप आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासक के दिनांक से साठ दिन के भीतर यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिए प्रपत्र ''क'' में एक नया विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(5) व्यवसायिक भवन के साथ अनुलग्न भूमि की माप व अनुलग्न भूमि पर कर निर्धारण यदि उसका उपयोग व्यवसायिक रुप में किया जा रहा हो तो उसी प्रकार आरोपित होगा जैसे वह भूमि कोई एक मंजिला भवन हैं।

(6) नगर में ऐसे समस्त स्थापित टावर, होर्डिंग वाले भवन, दूर संचार टावर या अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर, खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये गये हों की माप पर भवन कर उपविधि के उपनियम 4 ख के अनुसार लागू होगी ।

(7) नगर स्थित विद्युत विभाग के सार्वजनिक/निजि भूमि पर स्थापित किये जाने वाले विद्युत ट्रांसफार्मर वाली भूमि चाहरदीवारी सहित, विद्युत पोल जिसमें पोल स्थापित किये जाने वाली भूमि के अतिरिक्त एक वर्गफुट की एरिया सम्मिलित होगी में माप के अनुसार भवन कर उपविधि के उपनियम 4 ख के अनुसार लागू होगी ।

4- सम्पत्तियों का वर्गीकरण -

(1) अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत भिकियासैंण द्वारा पंचायत सीमान्तर्गत आने वाली सम्पत्ति /भवन की अवस्थिति का वार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की अवस्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात -

(क) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर:-

(ख) मोटरेबल रोड से 50 मीटर से 100 मीटर तक की दूरी पर

(ग) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक तक की दूरी पर

(2) अधिशासी अधिकारी उपबन्ध के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्णीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा -

(क) पक्का भवन आर0आर0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित या

(ख) अन्य पक्का भवन, या

(ग) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं है ।

(3) अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत भिकियासैंण तद्नुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को 9 विभिन्न समूहों की अधिकतम् संख्या में व्यवस्थित करेगा -

(एक) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित आर0सी0सी0 छत या आर0 बी0 छत सहित पक्का मकान ।

(दो) मोटरेबल रोड से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित आर0सी0सी0 छत या आर0 बी0 सहित पक्का भवन ।

(तीन) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित आर0सी0सी0 छत या आर0 बी0 छत सहित पक्का भवन ।

(चार) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित अन्य पक्का भवन ।

(पांच) मोटरेबल रोड से 50 सें 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित अन्य पक्का भवन ।

(छः) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित अन्य पक्का भवन ।

(सात) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित कच्चा भवन जो उपरोक्त (1,2,3,4,5,6) में सम्मिलित नहीं है ।

(आठ) मोटरेबल रोड से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित कच्चा भवन जो उपरोक्त (1,2,3,4,5,6) में सम्मिलित नहीं है

(नौ) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित कच्चा भवन जो उपरोक्त (1,2,3,4,5,6) में सम्मिलित नहीं है ।

(नोट - सम्बन्धित भवनों की दूरी भवन के समीप स्थित मोटर मार्ग /जीपेबल मार्ग से हवाई दूरी के आधार पर आंकी जाएगी)

4 - (क) न्यूनतम् मासिक किराये की दर का निर्धारण- अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत भिकियासैंण वार्ड के भीतर प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कबर्ड एरिया की प्रति इकाई (वर्गफुट) न्यूनतम् मासिक किराये की दर तैयार करेगा और निम्न को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा -

(एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजन के लिए कलैक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर और

(दो) भवन के लिए क्षेत्र में वर्तमान किराये की न्यूनतम् दर ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व अध्यक्ष/ प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत भिकियासैंण ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन करने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां दाखिल करने के लिए न्यूनतम् 30 दिन का समय देगा । प्राप्त आपत्तियों की पच्चीस भिन्न-भिन्न बण्डलों की अधिकतम् संख्या में समूह बनाने के पश्चात ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी । प्रत्येक बण्डल में यथास्थिति भवनों के एक समूह के लिए आपत्तियां रहेंगी । सभी आपत्तियों का निस्तारण अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात किया जाएगा । यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप् से सुना जाय। आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चित किया जाएगा ।

(तीन)- आवासीय भवन का प्रस्तावित समस्त वार्डो के लिए कबर्ड एरिया की मासिक किराया दर प्रति वर्ग फिट/माह

क्र0 सं0	वार्ड का नाम/नम्बर	पक्का भवन आर0सी0सी0/आर0बी0 छत			अन्य कच्चा भवन			कच्चा भवन		
		मुख्य सड़क से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 100 से अधिक तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 100 से अधिक तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर	मुख्य सड़क से 100 से अधिक तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर
1	वार्ड–01 (गॉधीनगर)	0.75	0.50	0.25	0.50	0.25	0.20	0.25	0.15	0.10
2	वार्ड–02 (तहसील)	0.75	0.50	0.25	0.50	0.25	0.20	0.25	0.15	0.10
3	वार्ड–03 (बडियाली)	0.75	0.50	0.25	0.50	0.25	0.20	0.25	0.15	0.10
4	वार्ड–04 (राजामन्दिर)	0.75	0.50	0.25	0.50	0.25	0.20	0.25	0.15	0.10

4. (ख) अनावासिक भवनों के आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर उपनियम (4क) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणांक होगा, जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है -

अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1	आवासीय भवन का व भाग जो किराये पर दिया हो	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
2	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलैक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान, बैंक कार्यालय, होटल तीन स्टार तक, निजी होटल, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर)	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का पांच गुना
3	प्रत्येक प्रकार के निजि क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालाएं, नर्सिंग होम, चिकित्सालय मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र या कोचिंग	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
4	कीड़ा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेटर तथा सिनेमागृह	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
5	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान/विद्यालय (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः संचालित को छोड़कर)	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर के चार गुना
6	पैट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
7	मॉल्स,चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह जहां भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का छः गुना
8	सामाजिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब, बारात घर और इसी प्रकार के भवन	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का पाँच गुना
9	औद्योगिक इकाइयां, सरकारी, अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय (समस्त राजकीय चिकित्सालयों को छोड़कर)	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
10	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी0वी0 टावर दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का चार गुना
11	विद्युत विभाग के सार्वजनिक/निजि भूमि पर सीपित किये जाने वाले विद्युत ट्रांसफार्मर वाली भूमि चाहरदीवारी सहित, विद्युत पोल जिसमें पोल सीपित किये जाने वाली भूमि के अतिरिक्त एक वर्गफुट की एरिया सम्मिलित होगी	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का चार गुना
12	मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च एवं अन्य धार्मिक स्थल के ऐसे भवन जिनका उपयोग ,धर्मशाला, पड़ाव, मुसाफिरखाना,सराय के लिए होता है, को छोड़ कर अन्य भाग,भवन जिनका उपयोग व्यवसायिक रूप में किया जा रहा है या जिस भाग से कोई शुल्क या आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता हो।	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का दो गुना
13	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं	उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
14	समस्त व्यवसायिक भवन से अनुलग्न भूमि जिसका उपयोग व्यवसायिक भवन के साथ व्यवसायिक रूप में किया जा रहा हैं।	भवन के निर्धारित प्रति वर्गफुट के कर के बराबर

4 - (ग) - **वार्षिक कर निर्धारण** - वार्षिककर का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगा -

(एक) आवासीय भवन के वार्षिक मूल्याकंन की गणना - सम्पूर्ण भवन का कबर्ड एरिया x 80 प्रतिशत x निर्धारित प्रति वर्ग फुट क्षेत्रफल मासिक किराया की दर x 12=

(दो) अनावासिक भवनों की वार्षिक मूल्य की गणना -

भवन का कवर्ड क्षेत्रफल x अनावासिक भवनों की दर के सम्बन्ध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की दर x 12=

(तीन) संदेय कर - ग (एक), ग (दो) के अनुसार निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन का 10 प्रतिशत वार्षिक सम्पत्ति कर देय होगा।

(चार) संदेय कर का उत्तरदायित्व - भवन स्वामी या अध्यासी या उपभोगकर्ता या पट्टादाता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह स्थानीय निकास द्वारा भवन/भूमि का विवरण/वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित करने हेतु निर्धारित प्रपत्र ''क'' नगर निकाय से प्राप्त कर अपने भवन/ प्रतिष्ठान का पूर्ण विवरण व वार्षिक मूल्यांकन स्वयं निर्धारित कर उपनियम 04 (ग) के अनुसार नगर पालिका को उपलब्ध करायेगा।

(पांच) ग (एक), ग (दो) के अनुसार निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन पर ग (तीन) के अनुसार नियम संदेय कर को जमा करने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष के माह 31 अक्टूबर होगी।

अथवा

कोई कर दाता नियमावली के उपनियम 5 के द्वारा निर्धारित छुट का लाभ तभी प्राप्त कर सकेगा कि वह प्रत्येक वर्ष के माह 31 अक्टूबर या उससे पूर्व देय कर को नगर पालिका कोष में जमा कर उक्त तिथि तक रसीद या सूचना प्राप्त कर लेवें।

(5) छूट - आवासिक भवनों के देय कर में छूट अनुमन्य होगी और जो निम्नानुसार होगी ।

1. भवन कर वित्तीय वर्ष के माह अक्टूबर तक जमा करने की स्थिति में भवन स्वामी को देय भवन कर पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट आकलित वार्षिक कर पर प्रदान की जायेगी।
2. भवन 20 से 30 वर्ष पुराना होने पर देय कर में 5 प्रतिशत की छूट। (वार्षिककर के आगणन के समय)
3. भवन 31 से 40 वर्ष पुराना होने पर देय कर में 10 प्रतिशत की छूट। (वार्षिककर के आगणन के समय)
4. भवन 41 वर्ष से अधिक पुराना होने पर देय कर में 15 प्रतिशत की छूट। (वार्षिककर के आगणन के समय)

प्रतिबन्ध यह है कि -

1. उपरोक्त बिन्दु सं0 2,3,4 पर भवन कर से छूट प्राप्त करने हेतु भवन स्वामी भवन की आयुगणना व स्वामित्व प्रमाण हेतु निम्न अभिलेख मान्य होगा -

(क) खतौनी, विक्रय पत्र, दान पत्र, पट्टाभिलेख, वारिसान प्रमाण पत्र आदि की छाया प्रति

(ख) विहित प्राधिकारी, नगरपालिका या अधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति

(ग) भवन का सबसे पुराना विद्युत बिल गृहकर रसीद/पानी का बिल या अन्य प्रमाण आदि जिसमें भवन की आयु की गणना आदि इंगित हो ।

1. नगर पालिका अधिनियम - 1916 की धारा 157 के तहत छूट अनुमन्य होगी।
2. भवन स्वामी, अध्यासी उपभोगकर्ता द्वारा भवन कर जमा न करने की स्थिति में भवन कर की वसूली नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 173 (क) के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।

(6) स्वनिर्धारण - आवासिक भवन के विषय में भवन कर के भुगतान के लिए मुख्यतयः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और 4-ग के अनुसार कर निर्धारित करते हुवे नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के साथ इस नियमावली के प्रपत्र ''क'' में सम्पत्ति कर का विवरण अंकित करते हुए नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दिनांक यथा स्थिति प्रपत्र ''क'' के साथ नगर पंचायत भिकियासैंण में धनराशी जमा कर सकेगा ।

(7) - कर निर्धारण सूची का तैयार किया जाना -

(1) सभी भवनों की कर निर्धारण सूची गणना के पश्चात निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी -

(क) भवन के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'क' पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर

या

(ख) नियत समय के भीतर प्रपत्र यथा स्थिति 'क' में सूचनायें न देने की स्थिति में अध्यक्ष/ प्रशासक/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर,

(ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे -

(एक) सड़क या मोहल्ले, जिसमें सम्पत्ति स्थिति हो, का नाम,

(दो) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्ट द्वारा जो पहचान के लिए पर्याप्त हों, सम्पत्ति का अभिधान,

(तीन) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए कि यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है, यदि किराये पर है तो किरायेदार का नाम,

(चार) भवन या भवन से अनुलग्न समूह के लिए कबर्ड एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्रफल आधारित प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर।

(पांच) भवन का कबर्ड एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों,

(छः) भवन निर्माण का वर्ष,

(सात) भवन निर्माण की प्रकृति,

(7) स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में सूची - ऐसे आवासिक भवनों को, जिनके विषयों में प्रपत्र ''क'' पर और अनावासिक भवनों, जिनके विषय में प्रपत्र पर विहित अवधि के भीतर स्वनिर्धारित कर जमा कर दिया हो, उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गई सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा परन्तु भवन नियम 5-क के उपलब्ध ऐसे भवनों पर लागू नहीं होगे । प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जांच के आधार पर यदि कोई विवरण सहीं नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ के पश्चात शास्ति अधिरोपित की जायेगी ।

(8)- सम्पत्तिकर निर्धारण - किसी भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ पालिका में नगद, पालिका द्वारा अधिसूचित बैंक खाते में ड्राफ्ट/चैक अथवा नगर सेवा पोर्टल या शासन द्वारा समय समय निर्देशित माध्यम से जमा कर सकता है।

(9) **शास्ति** (1)- यदि किसी भवन स्वामी, अध्यासी, उपभोगकर्ता द्वारा उपविधि के उपबन्धों के अनुसार स्वकर निर्धाकरण सम्बन्धी सूचना/कोई तथ्य छिपता है त्रुटि करता है/भवन कर आंगणन में कमी करता है और ऐसा पाये जाने पर त्रुटि/छिपाये गये कर का दो से चार गुना जैसा कि कर निर्धारण समिति निर्धाकरण करें भवन स्वामी/अध्यासी/उपभोगकर्ता से वसूल किया जा सकेगा।

(2) - संदेय कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष तक पालिका कोष में जमा न करने पर आगामी वित्तीय वर्ष में संदेय कर पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार देना होगा जो प्रत्येक बकाया वर्ष पर लगातार लागू रहेगा।

(10) स्वामित्व - उपरोक्त उपविधि का प्रकाशन मात्र पालिका करों की वसूली के प्रयोजनार्थ किया गया है संदेय कर से सम्पत्ति के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी वाद की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भवन स्वामी/अध्यासी का होगा।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भिकियासैंण।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पंचायत भिकियासैंण।

कार्यालय नगर पालिका परिषद दुगड्डा पौडी गढ़वाल

फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय उपविधि–2022

09 मई, 2022 ई0

पत्रांक–117/गजट प्रकाशन/2022–23–नगर पालिका परिषद दुगड्डा पौडी गढ़वाल सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा 2 खण्ड (ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद दुगड्डा पौडी गढ़वाल द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 की उपधारा 1(II)(III) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उप नियम–2022 बनायी जाती है जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जन सामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्ति अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद दुगड्डा पौडी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः

(1) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद दुगड्डा पौडी गढ़वाल फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2022 कहलएगा।

(2) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद दुगड्डा पौडी गढ़वाल के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) उप-नियम नगर पालिका परिषद दुगड्डा पौडी गढ़वाल की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1. प्रसंगः

यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंधक इन मामलों में / सेप्टेज का अनुपालन किया जाये ताकि सेप्टेज/ फेकल सलज सेफ्टिक टैंक, गडढे, शौचालय, से पर्यावरण, नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके।

1.1 राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधनीतिः

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध नीतिवर्ष 2017 घोषित की है जिसमे शहर पूर्ण रुप से स्वच्छ, तंदुरुस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकॅता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र सुरक्षित सफाई व्यवस्था हो सके।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकालः

नगर पालिका परिषद दुगड्डा पौडी गढ़वाल में उचित प्रबन्ध योजना या प्रटोकॉल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सैप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमित रुप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरुप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानो मे वितरित की जायेगी। जल आपुर्ति एंव सीवरेज अधिनियम 1976/नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा, इसके लिए प्रोटोकॉल

सेप्टेज प्रबंध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या पाइपलाइन 597/4(2) यु0डी0-2017-50/16,दिनांक 22.05.2017 इस नियमावली का सेप्टेजप्रबंध प्रोटोकॉल दुगड्ड शहर को दिग्दर्शन कराना है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज,सेप्टेज/ फेकल सलज का निस्तारण और पुन प्रयोग हो सके। इस प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आन्तरिक विभागीय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत यू0एल0बी0 जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2. नगरिय उप कानून फेकल सलज सेप्टेज प्रबंधन का नियमितीकरण-

सेप्टेज प्रबंधक प्रोटोकॉल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या-597IV(2)-श0वि0-2017-50(सा0)/16 दिनांक 22.5.2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम नगर पालिका परिषद दुगड्डा पौडी गढ़वाल कानून या नियमावली नगर पंचायत कीर्तिनगर नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्रित करने परिवहन और सेप्टेज/ फेकल सलज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फेकलफेकल सलजएवं सेप्टेज जी प्रबंध उपनियम के अंतर्गत, जो यहां स्वीकृत किया गया है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद दुगड्डा पौडी गढ़वाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र-

नियमावली के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र निम्नवत है-

1.निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रख-रखाव और शौचालय के गड्ढे परिवहन इलाज और सुरक्षित रखरखाव जोकि सलज और सेप्टेज से संबंधित है।

2.क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना हैं, उसको निर्देशत करना जो की सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे और फेकल सलज एवं सेप्टेजपरिवहन से संबंधित है ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।

3.उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी काअनुपालन।

4.लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।

निजी और गैर सरकारी क्षेत्र में फेकल सलजएवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4. एकत्रीकरण परिवहन इलाज सेप्टेज के खुद-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना-

4.1 सेप्टिक टैंक और सेफ्टेज/फेकल सलजएकत्रीकरण कोरिक्त करना-

सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है उसको काटना और एक बार उसको ठीक करना जो की गहराई में पहुंच गया है या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है जो कोई भी पहले आवे जबकि सलज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना।मैकेनिकलवेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल में वर्णित है को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज / फेकल सलज का परिवहनः

1- फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे । जैसा कि समय-समय पर एस0 एम0 सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेगें ।

2- फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे कि-

अ- पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि फैकल सलज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेंगे छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेंगे ।

ब- कोई भी टैंक और उपकरण जो फेकल सलज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाज-

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार प्रत्येक नगर की अपनी एक इकाई होगी। परन्तु इस निकाय में इकाई न होने के कारण सेप्टेज को निकाय से 14 कि० मी० दूर अंतर्गत स्थित नजदीकी उत्तराखण्ड जल संस्थान/नगर निगम कोट्द्वार के एस0 टी0 पी0 में परिवहन किया जायेगा । भविष्य हेतु एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण हेतु भी कार्ययोजना तैयार कराने के प्रयास किये जायेंगे।

5 . सुरक्षा उपायः

1 . उचित तकनीकी सयंत्र सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जायेगा । फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेंगे समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा नियोप्रीन गलब्स रबड़ बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायेगा । इसके लिये जागरूकता भी की जायेगी । इसके अलावा प्रथम सहायता किट , गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामक यंत्र, मलनिस्तारण गाडी में रखे जायेंगे । जब सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो धूम्रपान वर्जित रहेगा ।

2. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना-जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा । बच्चों को टैक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा एवं टेक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाये । कर्मचारी सावधान रहेंगे कि मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हॉल का ढक्कन टूटने से बचा रहे।

6 . सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 यू० एल० बी० दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाडी उपलब्ध हो । इस प्रकार का लाईसेस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है ।

सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा । ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे । पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट – ए, 2 में संलग्न है ।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है । जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस० एम० सी० के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है ।

सामाग्री 1 : पंजीकरण व्यय

अ . प्रारम्भिक पंजीकरण	रु 2000.00 प्रति गाड़ी
ब. नवीनीकरण	रु 1500.00 प्रति गाड़ी

7- उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1. इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि यू0 एल0 बी0 में फेकल सलज और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे परिवहन और फेकल सलज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु।

7.2. इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि यू0 एल0 बी0 कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है ।

7.3 यू0 एल0 बी0 अपनी लागत समय-समय पर संशोधित करेगा, जो कि समय-समय पर इससे सम्बन्धित है । ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फेकल सलज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु ।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है ।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भवन/ सेप्टिक टैंक मालिक से यू0एल0बी0 द्वारा वसूल कर यू0एल0बी0 मे जमा किया जायेगा ।

ब. यू0एल0बी0 किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है, जिसके अंतर्गत फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी । जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है ।

सारणी 2 : उपभोक्ता लागतः

पालिका क्षेत्र मे सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या किसी भी शिकायत के इस आश्य की शिकायत प्राप्त होने पर कि सैप्टिक टैंक ओवर-फ्लो तो नहीं हो रहा है, तुरन्त पालिका से सुपरवाईजर को भेज कर जांच करवायेंगे । इसके अलॉवा पालिका में से सैप्टिक टैंक को खाली कराने के

आवेदन के आने पर पालिका द्वारा जांच करायी जायेगी कि सेप्टिक टैक कितना क्षेत्रफल का है और उसके खाली कराने में कितने सीवर टैंकर के चक्कर लगेंगे । तसदीक होने पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जायेगा ।

1. पालिका के सीवर टैंकर की क्षमता 2000 लीटर :-

2. पालिका सीमा के भीतर- रू0 7000 / - प्रति फेरा , तथा रू0 1500 / STP शुल्क , कुल रू0 8500/- भवन स्वामी पालिका मे शुल्क जमा करेगा । सैप्टिक टैंक में ज्यादा फिकल होने पर दूसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे में 2000/-रू0 की छूट प्रदान की जायेगी ।

3. पालिका सीमा के बाहर - रू0 8000 /- प्रति फेरा, तथा रू0 1500 /-STP शुल्क , रू0 1000 / , एवं रू0 500 /- प्रति किमी, आधार पर भवन स्वामी पंचायत मे शुल्क जमा करेगा । सैप्टिक टैंक में ज्यादा फेकल होने पर दूसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे मे 2000 /-रू0 की छूट प्रदान की जायेगी ।

4. पालिका द्वारा यह भी देखा जायेगा कि यदि कोई सैप्टिक टैंक ज्यादा ही छोटा है तो निरीक्षण पश्चात तथा यह समाधान हो जाने पर कि सम्बन्धित सैप्टिक टैंक में 2000 ली0) का सीवर टैंक पूर्ण नही भर पायेगा, उपरोक्त निर्धारित दरों में आवश्यक छूट देकर शुल्क प्राप्त कर सकते है ।

8. मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना-

8.1. कोई भी व्यक्ति जो कि एस० एम० सी० / नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/ संस्थागत आदि का निरीक्षण करना ।

8.2. मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पालिका परिषद दुगड्डा पौडी गढ़वाल मे जमा की जायेगी ।

8.3. यू0एल0बी0 और परिचारक सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेंगे ।

8.4. अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलायी जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसायी के सेप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतु प्रशिक्षण होगा ।

9. दंड-

दंड का ढांचा उपकरण से रहित / अकार्यशील जी0 पी0 एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फेकल्ल सलज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट / आर.एन.एन. का रजिस्ट्रीकरण न करना । सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना ।

सारणी 3- दंड

क्र0स0	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकेडी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकडी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1-	लोगों की सेवा की शिकायत	2500	5000	3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट निरस्तीकरण
2-	सेप्टेज/ फेकल सलज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में खाली न करने पर	1000	6 माह के लिए परमिट को स्थगित करना	
3-	पंजीकरण न करना/ पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थागित करना/ परमिट का निरस्तीकरण के लिए स्थागित
4-	विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना एंव जी0पी0एस0 का न लगाया जाना	5000	10000	

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद दुगड्डा पौडी गढ़वाल।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद दुगड्डा पौडी गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 35 हिन्दी गजट/532–भाग 8–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।